रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1987/पौष 5, 1909
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1987/PAUSA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1987

आदेश

का० आ० 954:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि कतिपय औद्योगिक या अन्य स्थापनाओं, कम्पनियों, बैंकों और फर्मों को आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कतिपय उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी कम्पनी, फर्म, बैंक या औद्योगिक या अन्य स्थापन की (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् स्थापना कहा गया है) सम्पत्ति और कार्मिकों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित अग्नयायुधों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

(i) अनुज्ञापन प्राधिकारी स्थापना के आकार, प्रकृति और अवस्थान और अन्य ऐसे घटकों को, जिन्हें ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत समझे; हिसाब में लेने के पश्चात् तथा स्थापना के विचारों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अग्नयायुधों की संख्या अवधारित करेगा जिसे ऐसे स्थापना द्वारा अर्जित या अधिकृत किया जा सकेगा;

(ii) ऐसे स्थापन की सुरक्षा के भारसाधक व्यक्ति के पक्ष में या जहां ऐसे कृत्यकारी नहीं है, वहां ऐसे स्थापन के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्ति के पक्ष में उसके पदनाम से ऐसे प्रत्येक अग्नयायुध के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी से अनुज्ञाप्ति प्राप्त की जाएगी;

(iii) ऐसे अवधारण और अनुज्ञप्तियों के जारी किए जाने पर प्रत्येक ऐसा स्थापन जिसके कब्जे में अग्नयायुध की संख्या अनुज्ञप्ति द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक है, तुरन्त अधिक अग्नयायुध को आयुध नियम, 1962 के नियम 46 के साथ पठित उक्त

1	2	3	4	5	6	7
25.	Painter	1* (1987) (*Subject to variation dependent on workload).	General, Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1400.	Selection	No

8	9
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the orders/instructions issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange has been asked to submit the names.	Essential : 1. Eigth standard pass. 2. Should be able to read and write Hindi and English with ease. 3. Five years' experience in background screen painting, Special effects, hand and spray painting, lettering in all major Indian languages as well as English Stencil drawing and cutting for sets in a film studio or decorating firm. Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

10	11	12
Not applicable	2 years	Promotion failing which by direct recruitment.

13	14	
Promotion : Junior Painter with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Producer, Films Division ... Chairman 2. Production Manager, Films Division ... Member 3. Assistant Station Director All India, Radio ... Member 4. Director/Deputy Director Films Division ... Member	Not applicable

[No. A-12018/8/86-F (A)]
S.L.S. HIMANSHU, Desk, Officer

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1987

सा०का०नि० 937:——राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (ज्येष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ वेतनमान हिन्दी आशुलिपिक (भर्ती नियम, 1959) को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी में आशुलिपिक (हिन्दी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:——

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (आशुलिपिक) हिन्दी भर्ती नियम 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि :—— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—— वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. आशुलिपिक (हिन्दी) श्रेणी-2	10* 1987 *कार्यभार के आधार पर, परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1400-10-1800-द. रो.-50-2300 रुपए	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से, (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
1. मैट्रिकुलेशन तथा साथ में मैट्रिकुलेशन परीक्षा में अध्ययन के एक विषय के रूप में हिन्दी हो; और 2. आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति हो। टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आशुलिपिक (हिन्दी) श्रेणी-2 में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति पुष्टि और दक्षतारोध पार करने के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. संयुक्त समाचार निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी —अध्यक्ष 2. उप निदेशक प्रशासन, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी —सदस्य 3. किसी अन्य विभाग का 3000-4500 रुपए के वेतनमान में एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
2. आशुलिपिक (हिन्दी) श्रेणी 3	21* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1250-30-1560-द. रो.-40-2040 रुपए	लागू नहीं होता	नहीं	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से, (उनसे, भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
1. मैट्रिकुलेशन, जिसमें हिन्दी एक विषय के रूप में हो। 2. हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट और हिन्दी टाइपिंग में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति हो। टिप्पण :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि/दक्षतारोध पार करने के संबंध में विचार करने के लिए)— 1. सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर या संबंधित कार्यालय में समतुल्य श्रेणी का अधिकारी—अध्यक्ष 2. कार्यक्रम कार्यपालक सहायक इंजीनियर—सदस्य 3. किसी अन्य विभाग से उपयुक्त पंक्ति का एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 7/8/87-एस. 6/एआईआर/बी (ए)]

New Delhi, the 3rd December, 1987

G.S.R. 987.—In exercise of the powers conferred by the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Radio (Senior Scale and Junior Scale Hindi Stenographers) Recruitment Rules, 1959 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Stenographers (Hindi) in the All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Stenographers) (Hindi) Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the posts, their classification, and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

5 Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issues by the Central Government from the time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension Rules 1972)	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Stenographer (Hindi) Grade II	10* (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Non-Selection	No	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants in accordance with orders/instructions issued by the Central Government from time to time.) NOTE: The crucial date for determine the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India) other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	1. Matriculation with Hindi as one of subjects for study in the Matriculation examination; and 2. Speed of 100 words per minute in Shorthand and 25 words per minute in type-writing. NOTE: Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
No	Two years	100% by promotion failing which by direct recruitment.	From amongst Stenographers (Hindi) Grade III with five years' regular service in the grade.	Department Promotion Committee (for considering promotion, confirmation and crossing of Efficiency Bar). 1. Joint Director of News, News Services Division, All India Radio—Chairman. 2. Deputy Director Administration, News Services Division, All India Radio—Member. 3. An officer of another Department in the pay scale of Rs. 3000-4500 Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
Stenographers (Hindi) Grade III	21* (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C', Non-gazetted' Non-ministerial.	Rs. 1200-30 1560-EB-40-2040.	Not applicable	No	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants in accordance with orders/instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	1. Matriculation with Hindi as one of the subject. 2. Speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and 25 words per minute in Hindi type writing. NOTE: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation/crossing of Efficiency Bar etc.) 1. Assistant Station Director/Assistant Station Engineer or equivalent grade in the respective office—Chairman. 2. Programme Executive/Assistant Engineer—Member. 3. An officer of suitable rank of another Deptt.—Member.	Not applicable

[F. No. 7/8/87-S. VI/AIR/B (A)]